प्रेस नोट

दिनांक- 05.08.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 447/14 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना बाजारशुक्ल में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र पारसनाथ निवासी पूरे भगोले मौजा मकदूमपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0- चतुर्थ सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 04.08.2022 को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को धारा 498ए में 03 वर्ष का साधारण कारावास 5 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 304बी में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं ¾ डीपी एक्ट में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 16.05.2014 को समय 13:00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के 25 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र पारसनाथ निवासी पूरे भगोले मौजा मकदूमपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या कर देने की इस सूचना पर थाना बाजारशुक्ल में मु0अ0सं0 447/14 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत हो कर विवेचक क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री सुमित कुमार शुक्ला द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-66 दिनांक 08.06.2014 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।